सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 12.03.2024

राहगीरों को लिफ्ट देकर उनके सामान की चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को मात्र 04 घण्टे में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

कब्जे से चोरी किये गये 01 लैपटॉप बैग, 10 विजिटिंग कार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 01 आईकार्ड एचडीएफसी बैंक, 01 आधार कार्ड, 01 पर्स, 01 मोबाइल, 02 कूटरचित नम्बर प्लेट, 01 स्कोर्पियो कार, 6000/- रूपये किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.03.2024 को वादी विपिन कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी हिसामुद्दीनपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज द्वारा थाना चौबिया पर तहरीरी सूचना दी गयी कि जब वह सौरिख कट से नोएडा जा रहा था तभी स्कार्पियो गाड़ी में सवार व्यक्तियों द्वारा उसे लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठा लिया गया एवं जब स्कार्पियो कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किमी संख्या-111 पर पहुँची तभी कार में सवार तीनों व्यक्तियों द्वारा पेशाब करने के बहाने गाड़ी को रोका गया तथा जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर पेशाब करने लगा तभी स्कोर्पियो कार सवार व्यक्ति उसका बैग एवं मोबाइल चोरी करके आगरा की तरफ भाग गये। **सूचना पर तत्काल थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।**

इसी के क्रम में थाना चौबिया पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भ्रमणशील थी इसी दौरान किमी संख्या-108 के पास गलत दिशा से 01 कार आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो गाड़ी चालक द्वारा कार से चौपला की ओर भागने का प्रयास किया गया **जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये सर्विस रोड नगला दलजीत अंडर बाईपास के पास से स्कोर्पियो कार नं0 BR01 BN3049 सहित समय 01.50 बजे रात्रि में** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ करते हुये तलाशी ली गयी तो चालक बादल कुमार के कब्जे से 01 आधार कार्ड (विपिन कुमार नाम अंकित), 2000/- रूपये नकद, दूसरे व्यक्ति सचिन कुमार के कब्जे से 01 मोबाइल वीवो कम्पनी, 2000/- रूपये नकद तथा तीसरे व्यक्ति अमित शंकर शर्मा के कब्जे से 01 लैपटॉप बैग जिसके अन्दर से 10 विजिटिंग कार्ड, 01 आईकार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 2000/- रूपये नकद बरामद किये गये।

बरामदगी के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग बिहार से दिल्ली जा रहे थे इसी दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के सौरिख कट से 01 व्यक्ति को नोएडा जाने के लिफ्ट देकर बैठा लिया तथा पेशाब का बहाना बनाकर किमी संख्या-111 पर गाड़ी को रोककर उसका बैग चोरी कर लिया था। चोरी किये गये रूपये मे से 4000/- रूपये हम लोगों ने खर्च कर दिये हैं एवं स्कोर्पियो कार के प्रपत्र दिखाने को को कहा गया तो आरसी पर गाड़ी का नम्बर BR01 PN 3649 अंकित था एवं कार पर BR01BN 3049 की नम्बर प्लेट लगी थी,

जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग अपनी पहचान छुपाने के लिये गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अपराध कारित करते हैं।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2024 धारा 379 भादवि में धारा 411/420/467/468 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बादल कुमार पुत्र सुरेश पंडित निवासी करनजी थाना बेलसर जनपद वैशाली बिहार उम्र 21 वर्ष।

02. सचिन कुमार पुत्र संजय महतू निवासी रत्तीभगवानपुर थाना वैशाली जनपद वैशाली बिहार उम्र 19 वर्ष।

03. अमित शंकर शर्मा पुत्र रतनेश्वर शर्मा निवासी धरमपुर थाना वैशाली जनपद वैशाली बिहार उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 39/24 धारा 379/411/420/467/468 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा

बरामदगी:-

1. 01 लैपटॉप बैग
2. 10 विजिटिंग कार्ड एचडीएफसी बैंक
3. 01 एटीएम कार्ड एचडीएफसी बैंक
4. 01 आईकार्ड एचडीएफसी बैंक
5. 01 आधार कार्ड
6. 01 पर्स
7. 01 मोबाइल
8. 02 कूटरचित नम्बर प्लेट
9. 01 स्कोर्पियो कार
10. 6000/- रूपये

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री मन्सूर अहमद थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 अंकित पटेल, उ0नि0 तेज सिंह, का0 विकास साहू, का0 अनुज कुमार, का0 चालक सन्दीप चौधरी।